न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–269 / 2026</u>

(झाझा थाना कांड संख्या 47 / 15 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

दीनबन्धु यादव उर्फ दिनबन्दू यादव बनाम राज्य सरकार

<u>आदेश</u>

<u>18.05.2026</u>

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **दीनबन्धु यादव उर्फ दिनबन्दू यादव** पे0 आनंदी यादव, उम्र 44 वर्ष, साकिन रंगाकला, थाना झाझा, जिला जमुई द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 47 / 2015 अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 307, 379, 504 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 31.03.2015 दिन मंगलवार को सूचिका का लड़का भोला यादव एवं सूचिका का पति धनु यादव पे0 स्व0 दानेश्वर यादव अपने महुआ गांछ के पास महुआ उठा रहा था तो दीनबन्धु पिता आनंदी यादव अपने हाथ में टांगी लेकर आया और गाली–गलौज करते हुये टांगी से सूचिका के सिर पर मारा जिससे सूचिका का सिर फट गया तथा खून बहने लगा तथा सुरेन्द्र यादव पिता आनंदी यादव ने अपने हाथ में लिये लाठी से सूचक के लड़के भोला यादव को मारपीट कर जख्मी कर दिया। यह घटना दिनांक 31.03.15 को समय 10:00 बजे दिन में घटी है। यह घटना बच्चा को मारपीट करने से रोकने पर घटी है तीनों मारपीट करता है तथा 5000 / –रू0 का सामान ले लिया।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक की ओर से वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन न तो इस माननीय सत्र न्यायालय में लंबित है और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। यह कि आवेदक का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि आवेदक को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। यह कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। यह कि आवेदक ने किसी भी प्रकार का किसी के साथ गाली गलौज या मारपीट नहीं किया है। यह कि सूचिका एवं आवेदक दोनों चाची भतीजा है अर्थात् एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह कि दोनों पक्षों के बीच भूमि संबंधी विवाद है। उभय पक्षों में समझौता हो गया है। यह कि इस वाद के सहअभियुक्त सुरेन्द्र यादव को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 33 / 2026 में दिनांक 02.02.2026 के आदेश से जमानत दी जा चुकी है। आवेदक एक गरीब मजदूर व्यक्ति है बाहर में रहकर मजदूरी करके बाल–बच्चे का भरण पोषण करता है। यह कि आवेदक के भागने या इनके द्वारा साक्ष्य बिगाड़ने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निवासी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के आशंका को लेकर आवेदक के ओर से अग्रिम जमानत आवेदन श्रीमान् के यहां दाखिल किया गया है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त हैं तथा प्राथमिकी धारा 341, 323, 324, 307, 379, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार

लगातार..............

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–269 / 2026</u>

(झाझा थाना कांड संख्या 47 / 15 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

दीनबन्धु यादव उर्फ दिनबन्दू यादव बनाम राज्य सरकार

18.05.2026
लगातार

आवेदक पर आरोप है कि आवेदक दीनबन्धू अपने हाथ में लाठी लेकर आया और गाली गलौज करते हुए टांगी से सूचिका के सिर पर मारा जिससे सूचिका का सिर फट गया तथा खून बहने लगा तथा सुरेन्द्र यादव पिता आनंदी यादव ने हाथ में लिये लाठी से सूचिका के लड़का भोला यादव को मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना दिनांक 31.03.2015 की 10 बजे दिन की है। घटना गांव के पास महुआ के पेड़ से महुआ बीनने (उठाने) को लेकर हुआ। वाद दैनिकी की कंडिका 02 में जख्मी एवं वादिनी का पुनः ब्यान है जिसमें उसने प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 06 में जख्मी साक्षी भोला यादव का ब्यान है। उसने भी घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 07 में साक्षी धानू यादव का ब्यान है। इन्होंने ने घटना की तारीख समय तथा घटना घटने की प्रकिया एवं प्राथमिकी का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 30 में जख्मी एवं सूचिका पार्वती देवी के जख्मों का उल्लेख है जिसमें जख्म की प्रकृति को रिजर्व रखा गया है। पूरक जख्म प्रतिवेदन अभी अभिलेख पर नहीं है। आवेदक द्वारा सूचिका पार्वती देवी के मर्मस्थल सिर पर टांगी से मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने का सीधा आरोप है।

अतः इस वाद की प्रकृति एवं परिस्थितियों में वाद के इस प्रक्रम पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है फलतः आवेदक **दीनबन्धु यादव उर्फ दिनबन्दू यादव** का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई

मेमो सं0............................ दिनांक–...............................
प्रति अग्रसारित–न्यायालय, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।